

संख्या-बीएड ०१/सत्तर-३-२०१४-बी०एड०(१६)/२०११

प्रेषक,

मधु जोशी,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

१. निदेशक,
उच्च शिक्षा, उ०प्र०,
इलाहाबाद।

२. कुलसचिव,
लखनऊ विश्वविद्यालय,
लखनऊ।

उ०प्र० राज्य उच्च शिक्षा परिषद, लखनऊ
संख्या ८२/रा०उ०शि०प०/२०
दिनांक ०२.०२.२०१५

उच्च शिक्षा अनुभाग-३

लखनऊ: दिनांक: २१ जनवरी, २०१५

विषय:-निजी क्षेत्र के उच्च शिक्षण संस्थानों में बी०एड० पाठ्यक्रम (शिक्षण सत्र २०१४-१५, २०१५-१६ एवं २०१६-१७ तक) के लिए पाठ्यक्रम शुल्क का पुनर्निर्धारण।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि एन०सी०टी०टी० नियमावली, २००२ के प्रस्तर '६'(३) के प्राविधान के अनुरूप उत्तर प्रदेश निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) अधिनियम, २००६ के अन्तर्गत निर्मित उ०प्र० निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) (समिति का गठन) नियमावली, २००८ अधिसूचना संख्या-१५६१/सोलह-८१-२००८-५ (डब्ल्यू-४८)/२००३ दिनांक ०१.०५.२००८ द्वारा प्रख्यापित की गयी है। उक्त नियमावली में स्थापित प्राविधानों के अनुसार व्यावसायिक एवं प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-१ के कार्यालय आदेश संख्या-२४६३/२००८-सोलह-ए-५(डब्ल्यू-४८)/२००३ दिनांक २७ जून, २००८ द्वारा निजी क्षेत्र के बी०एड० पाठ्यक्रम शुल्क निर्धारण हेतु गठित समिति की बैठक दिनांक २३.०१.२०१५ को प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा की अध्यक्षता में हुई है।

२- समिति की उक्त बैठक में शासनादेश संख्या-बी०एड० ३७८/ सत्तर-३-२०१२-बी०एड०(१६)/२०११, दिनांक २९ सितम्बर, २०१२ द्वारा प्रदेश के निजी शिक्षण संस्थाओं में बी०एड० पाठ्यक्रम हेतु निर्धारित शुल्क रू० ५१,२५०/-पर शुल्क को पुनर्निर्धारित किये जाने पर सम्यक विचार किया गया। इसी क्रम में एन०सी०टी०टी०टी० नई दिल्ली द्वारा निर्गत अधिसूचना संख्या- ५१-४/२०१४/NCTE/N&S दिनांक १६ दिसम्बर, २०१४ द्वारा बी०एड० पाठ्यक्रम की अवधि ०१ वर्ष से ०२ वर्ष किये जाने के फलस्वरूप बी०एड० सत्र २०१४-१५, २०१५-१६ एवं २०१६-१७ हेतु शुल्क पुनर्निर्धारण किये जाने पर विचार करते हुए तथा प्रदेश में बी०एड० पाठ्यक्रम हेतु बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झांसी द्वारा वर्ष २०१४-१५ की बी०एड० प्रवेश परीक्षा आयोजित कराये जाने के फलस्वरूप इस सत्र हेतु उपलब्ध बी०एड० पाठ्यक्रम की कुल सीटों के सापेक्ष काउन्सलिंग के उपरान्त भरी गयी सीटें एवं रिक्त रह गयी सीटों की स्थिति पर विचार करते हुए इस तथ्य को छात्र-छात्राओं में बी०एड० के

अनुमोदित
R
२०१५

प्रति अभिरूचि/ मांग को कम होने का द्योतक पाते हुए सर्वसम्मति से समिति द्वारा प्रदेश स्थित निजी क्षेत्र के उच्च शिक्षण संस्थाओं में बी0एड0 पाठ्यक्रम के वर्तमान सत्र 2014-15 हेतु पाठ्यक्रम शुल्क न बढ़ाये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी है तथा वर्ष 2015-16 के प्रथम वर्ष हेतु रू0 51250/- तथा द्वितीय वर्ष हेतु रू0-30,000/- पाठ्यक्रम शुल्क निर्धारित किया गया है। यह दरें शैक्षणिक सत्र 2015-16 से आगामी तीन वर्ष हेतु लागू रहेंगी।

कृपया उक्तानुरूप अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीया,


(मधु जोशी)
संयुक्त सचिव।

संख्या-एड.०१(१)/सत्तर-३-२०१५-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- प्रमुख सचिव, वित्त विभाग एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 2- प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 3- समस्त अधिकारी/अनुभाग अधिकारी, उच्च शिक्षा विभाग।
- 4- समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0।
- 5- अपर सचिव, उच्च शिक्षा परिषद्, इन्दिरा भवन, लखनऊ को बेवसाइट पर प्रदर्शन हेतु एवं सभी संबंधितों को ई-मेल के द्वारा प्रेषित करने हेतु।
- 6- बेवमास्टर, उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 7- विभागीय आदेश पुस्तिका

आज्ञा से,


(मधु जोशी)
संयुक्त सचिव।